कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती अनुभूति जैन, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखानिया, जिला बांसवाड़ा का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनोल, जिला जालोर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती अनुभूति जैन द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3869/2019 अनुभूति जैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3869/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 द्वारा अपीलार्थी की अपील प्रत्यर्थी विभाग को रिमाण्ड की जाकर अपीलार्थी को बांसवाड़ा या अन्य जिले में 5 रिक्त पदो के संबधं में अभ्यावेदन प्रस्तुत करनें और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसके संबंध में एक सकारण आख्यात्मक (REASONED SPEAKING ORDER) रूप में नवीन आदेश पारित करने और तब तक अपीलार्थी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण पर बल नहीं देनें के आदेश प्रदान किये गए। तो विभाग नियमानुसार प्रसारित करते हुए 15 दिवस के भितर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वंय की पारिवारिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाईयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आग्रह करते हुए अपना समायोजन राउमावि बड़ोदिया, बागीदौरा, बांसवाड़ा में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय अधिकरण के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयो को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती अनुभूति जैन का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानेला, आन्दंपुरी जिला बांसवाड़ा किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। श्रीमती जैन को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अनुभूति/अपील/3869/2019 दिनांक 24/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती अनुभूति जैन के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित अपीलार्थी श्रीमती अनुभूति जैन को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर